आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

17/03/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-06/2023-2024

महेश पाहन ..... आवेदक

बनाम्

आरिफ अंसारी ..... विपक्षी

आदेश

आवेदक महेश पाहन, पिता–स्व० रामधनी पाहन, निवासी ग्राम–हुजीर, थाना–पिठोरिया, जिला–राँची के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा– 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि मेरी खतियानी जमीन विपक्षी आरिफ अंसारी, पिता–मंजुर अंसारी निवासी ग्राम–ईरबा, करमा टोली, थाना–ओरमांझी, जिला–राँची के द्वारा छल प्रपंच कर जमीन हड़प लिया गया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकबा
हुजीर	44	72	88	02 एकड़

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान में मुकुन्द पाहन वल्द वोधन पाहन के नाम से कायमी दर्ज है।

आवेदक ने अपने आवेदन के साथ वंशावली दाखिल किए जो उप मुखिया से सत्यापित है, इसमे वोधन पाहन अपने पीछे मुकुन्द पाहन एवं धिरीत पाहन को छोड़ गये मुकुन्द पाहन अपने पीछे कमल पाहन, विमल पाहन एवं रामधनी पाहन को छोड़ गये। रामधनी अपने पीछे स्वर्गीय नरेश पाहन और महेश पाहन (आवेदक) को छोड़ गये।

विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदकगण को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारणपृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया, तथा

17/3/25

कृ०पृ०उल्टे

17/03/25

संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई है।

अंचल अधिकारी, काँके द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में कहते हैं कि सर्वे खतियान में मुकुन्द पाहन के नाम पर दर्ज है तथा राजस्व पंजी–02 में मुकुन्द नाम से संधारित है एवं 2019–20 तक लगान रसीद निर्गत है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित है कि आवदेक SAR न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि आदिवासी की भूमि को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। आवेदक की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किया गया है। गवाह सं०–01 महेश पाहन पिता–स्व० रामधनी पाहन अपने शपथ पत्र पर बयान दिए हैं कि वर्णित भूमि को विपक्षी अवैध रूप से कब्जा कर लिए हैं, मैं खतियानी रैयत का वंशज हूँ, मालगुजारी रसीद मुकुन्द पाहन के नाम से कट रहा है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि वर्णित भूमि के अलावा अन्य खाता सं०–64 एवं 37 भी है। इसके अलावा खाता सं०–24, 34 एवं 72 है, जो खतियानी रैयत के दखल कब्जा में है। रामधनी पाहन के अलावा अन्य वंशज को पार्टी नहीं बनाया गया है। तकरारी जमीन पर छात्रावास है। कृष्णमोहन साहू, बृजमोहन साहू, लखन साहू एवं राजू साहू कहते हैं कि वर्णित भूमि पर हमारा दखल–कब्जा था। आवेदक की ओर से खतियान की सत्यापित प्रति दाखिल किये हैं, जिसे Exhibit-1 प्रदर्श किया गया। Exhibit-2 वंशावली की मूल प्रति प्रदर्श किया गया। Exhibit-3 विविध वाद सं०–11/2022–23 की सत्यापित प्रति प्रदर्श किया गया। Exhibit-4 में SAR वाद सं०–17/1983–84 की सत्यापित को प्रदर्श किया गया और X मार्क अंचल रसीद वर्ष 2024–25 है।

पक्षकार बनने के लिए बसंत पाहन की ओर से आवदेन दिया गया, वे अपने आवेदन में कहते हैं कि सिविल जज सिनियर डिविजन के व्यवहार न्यायालय, राँची में एक हक बँटवारा केस चला जिसका वाद सं०–पी०एस० 298/2024 है। इस वाद में बंसत पाहन वादी हैं, इसलिए SAR न्यायालय में हमें भी पक्षकार बनाना जरूरी है। इनके आवेदन को स्वीकृत करते हुए, इन्हें पक्षकार बना दिया गया। बसंत पाहन (पक्षकार) आवेदन में कहते हैं कि वर्णित भूमि का पी०एस० 298/2024 में का Schedule "A" में वर्णित भूमि भी है इसलिए इसपर भी मेरा हिस्सा है।

विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल किया गया है, जिसमें कहते हैं कि यह

17/3/25

कृ०पृ०उल्टे

17/03/25

वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं हैं। वर्णित भूमि कृषि योग्य नहीं है तथा इस पर खेती–बाड़ी भी नहीं हो रहा है। वर्णित भूमि अब्दुर रज्जाक अंसारी, मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी की है। इसे दो निबंधित पट्टा से खरीदा गया है। जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है। पहला पट्टा कृष्णमोहन साहू, बृजमोहन साहू, लखन साहू, एवं राजू साहू, ने एक निबंधित मुख्तारनामा प्रेम प्रकाश सिंह को दिए, इसका मुख्तारनामा डीड नं०–22848/2842, बुक फॉर वाल्युम नं०–65, पेज नं०–429 से 440, दिनांक–03.12.2009 है, जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है। इन्होंने ही अब्दुर रज्जाक अंसारी, मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी के सेक्रेटरी आरिफ अहमद अंसारी को निबंधित पट्टा से बिक्री कर दिए। जिसका निबंधित पट्टा सं०–बुक–01, वाल्युम–224, पेज नं०–87 से 118 पट्टा सं०–5404, दिनांक–15.03.2010 सोसायटी का रजिस्ट्रेशन नं०–710, दिनांक–22.12.2006 है। इस पट्टा में मौजा हुजीर, खाता नं०–72, प्लॉट नं०–88, कुल रकबा–01 एकड़ है।

दूसरा पट्टा कृष्णमोहन साहू, बृजमोहन साहू, लखन साहू एवं राजू साहू ने एक निबंधित मुख्तारनामा प्रेम प्रकाश सिंह को दिए, इसका मुख्तारनामा डीड नं०–22848/2842, दिनांक–03.12.2009 के तहत् बुक नं०–IV, वाल्युम नं०–65, पेज नं०–429 से 440, दर्ज है, जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है। इन्होंने ही अब्दुर रज्जाक अंसारी, मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी के सेक्रेटरी आरिफ अहमद अंसारी को निबंधित पट्टा से बिक्री कर दिए। जिसका निबंधित पट्टा सं०–बुक–01, वाल्युम–224, पेज नं०–201 से 234 पट्टा सं०–5407, दिनांक–15.03.2010 सोसायटी का रजिस्ट्रेशन नं०–710, दिनांक–22.12.2006 है। इस पट्टा में मौजा–हुजीर, खाता नं०–72, प्लॉट नं०–88, कुल रकबा–01 एकड़ है। इस तरह विपक्षी का कुल दो एकड़ भूमि का निबंधित पट्टा है। वर्णित भूमि पर सोसायटी की ओर से करीब 700–800 लड़कियों के रहने के लिए छात्रावास बनाया गया है। इसमें नर्सिंग कॉलेज, बी०एड० कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं की लड़कियाँ निवास करती एवं शिक्षा प्राप्त करती है। आगे कहते है कि वर्ष 1946 ई० में शिवनाथ साहू सादा डीड से खतियानी रैयत से खरीदा था। इसके उपरांत 1946 से ही दखल–कब्जा के साथ शिवनाथ साहू

17/3/25

कृ०पृ०उल्टे

17/3/25

निवास कर रहें थे। शिवनाथ साहू की मृत्यु वर्ष 1960 ई० में हो गयी, वे अपने पीछे कृष्ण मोहन साहू, बृज मोहन साहू, लखन साहू एवं राजा मोहन साहू को छोड़ गये। इसके बाद से विपक्षी उक्त भूमि पर दखल–कब्जा कर निवास करने लगे, ये सभी शिवनाथ साहू के उत्तराधिकारी हुए। इसके पश्चात् आपसी भैयाद बँटवारा कर वर्णित भूमि पर घर–मकान बनाकर रहने लगे। विमल पाहन, कमल पाहन और रामधनी पाहन ने पूर्व में इसी न्यायालय में एक एस॰ए॰आर॰ वाद लाए थे, जिसका वाद सं–17/1983–84 है। इस वाद का मौजा–हिनू खाता सं०–198, खेसरा सं०–708, एवं रकबा–36 डी० है, जिसका निष्पादन दिनांक–07.06.1985 ई० में हुआ। इसमें कालबाधित होने के कारण आवेदक के आवेदन को खारिज किया गया। जब अब्दुर रज्जाक अंसारी, मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी के सेक्रेटरी आरिफ अहमद अंसारी ने जमीन पर रजिस्ट्री पट्टा के बाद दखल–कब्जा लिए और वर्णित भूमि पर पुराने घर–मकान को तोड़कर नर्सिंग कॉलेज की महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण शुरू किया गया। जबकि यह छात्रावास महिलाओं के कल्याण के लिए सोसायटी बनायी थी। आज भी वर्णित भूमि पर छात्रावास बना हुआ है, तथा इसमें लगभग 700–800 लड़कियाँ रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहीं हैं। विपक्षी आगे कहते हैं कि कृष्ण मोहन साहू, बृज मोहन साहू, लखन साहू एवं राजा मोहन साहू का दखल कब्जा वर्ष 1946 से था, और उसपर घर–मकान बनाकर यह लोग निवास कर रहें, जो लगभग 80 वर्ष हो चुका है। 80 वर्ष से आवेदक का या इनके पिता का कभी भी दखल–कब्जा नहीं था और न ही इसपर आवेदक खेती–बाड़ी कर रहें थे। वर्णित भूमि की प्रकृति भी बदल चुकी है, अब यह कृषि योग्य भूमि नहीं है, इसपर नर्सिंग कॉलेज के महिलाओं के लिए छात्रावास के लिए बना हुआ है, इसलिए यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा– 71"A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है, क्योंकि 80 वर्षो से आवेदक का दखल–कब्जा भी नहीं एवं कालबाधित भी है। अतः इस वाद को खारिज किया जाए। विपक्षी की ओर से 02 निबंधित पट्टा की छायाप्रति न्यायालय में दाखिल किया गया है तथा मुख्तारनामा की भी छायाप्रति दाखिल किया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस की गई साथ में लिखित बहस भी दाखिल की गयी है। इसमें कहते है कि यह वाद मैंने छोटानागपुर काश्तकारी

17/3/25

कृ०पृ०उल्टे

17/03/25

अधिनियम–1908 की धारा– 71"A" के अंतर्गत भू–वापसी के लिए किया है। प्रश्नगत् भूमि आर०एस० खतियान में मुकुन्द पाहन वल्द बोधा पाहन के नाम से कायमी दर्ज है। वर्णित भूमि को मेरे वंशजो ने नहीं बिक्री किये हैं, आज भी मुकुन्द पाहन के नाम से अंचल में रसीद कट रहा है। अंचल के एक विविध वाद सं०–11/2022–23 चला था, जिसमें विपक्षी को अवैध दखलकार माना गया तथा जो भी पट्टा बना वह गलत है। विपक्षी ने SAR वाद सं०–17/1983–84 की सत्यापित प्रति दाखिल की है, वह दूसरे मौजा हिनू का भूमि है, जिसका वाद से संबंध नहीं है, तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 का उल्लंघन किया गया है। अतः यह भूमि आवेदक को वापस होना चाहिए।

विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुए और अपना कारणपृच्छा दाखिल किए, विपक्षी को गवाह प्रस्तुत करने का आदेश हुआ तत्पश्चात् विपक्षी अपना गवाह प्रस्तुत नहीं किए अंततः विपक्षी को गवाह प्रस्तुत करने से वंचित किया गया। इसके उपरांत विपक्षी को बहस करने को कहा गया लेकिन विपक्षी न तो अपना गवाह प्रस्तुत किए और न ही बहस एवं लिखित बहस दाखिल किये। विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा के साथ वर्णित भूमि का दो निबंधित पट्टा की छायाप्रति दाखिल किये है। अंततः इस वाद को आदेश पर रखा गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुनने एवं लिखित बहस तथा संलग्न कागजातों के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि विपक्षी के द्वारा कोई प्रमाणित दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है और न ही बहस किया तथा लिखित बहस भी दाखिल नहीं किया है, जिससे प्रमाणित हो सकें की प्रश्नगत् भूमि पर विपक्षी का दावा सही है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत् जमीन से विपक्षी आरिफ अंसारी, पिता–मंजुर अंसारी निवासी ग्राम–ईरबा, करमा टोली, थाना–ओरमांझी, जिला–राँची को मौजा–हुजीर, थाना नं०–44, खाता सं०–72 प्लॉट सं०–88 एवं रकबा–02 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से दखलकार को बेदखल करते हुए, आवेदक को जमीन वापस किया जाता है, तथा विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 माह के अंदर हटा लें।

17/3/25

कृ०पृ०उल्टे

तदनुसार अंचल अधिकारी, काँके को दखल–देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आवेदक सहित खंतियानी रैयत के अन्य वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

17/3/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

17/3/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांकः– 85 (ii) दिनांकः– 20/03/25

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, काँके, राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजों को दखल–देहानी हेतु प्रेषित।

20/03/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.04.07 17:06:01 +05:30
Location: 192.168.21.39